

आदेश ब इजलारा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 690/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेसन)  
इण्डिया बुक्स हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पांचवा तल, बिल्डिंग नम्बर 27, कै.जी. मार्ग कर्नाट पैलेस,  
नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. दिलीप बछावत  
पता - प्लॉट नम्बर 40, श्याम नगर, सांगानेर रोड जयपुर  
एवं प्लेट नम्बर-705, 7वाँ फ्लोर, ब्लॉक-ए, रियलस पैराडाईज, कालवाड़ रोड, जयपुर
2. दिलीप बछावत प्रोपराईटर दिलीप बछावत एण्ड कम्पनी,  
पता :-एफ - 112, करतारपुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया, बाईस गौदाम, जयपुर
3. क्षिप्रा बछावत  
पता - प्लॉट नम्बर 40, श्याम नगर, सांगानेर रोड, जयपुर  
एवं प्लेट नम्बर-705, 7वाँ फ्लोर, ब्लॉक-ए, रियलस पैराडाईज, कालवाड़ रोड, जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक 30.06.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.07.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री दिलीप बछावत के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर-705, 7वाँ फ्लोर, ब्लॉक-ए, रियलस पैराडाईज, प्लॉट नम्बर जी-एच-2, खसरा नम्बर 543, 545, 546/1, 548, 549, 547, 550, 552, 546/2, ग्राम कालवाड़, तहसील व जिला जयपुर कुल क्षेत्रफल 1590 वर्ग फीट को बन्धक रख कर 27,40,198/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.11.2022 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये। उक्त नोटिस टाईम्स आफ इण्डिया व दैनिक नवज्योति अखबारों में साया भी करवाया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

३४०  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



- कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमरत परमलब्ध कराने की इरतदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुरोग्य अधिकता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
  3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 27,40,108 /—रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त गणित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास रिक्वी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 24,53,419.42 /— रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.11.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्राधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
  4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री दिलीप बछावत के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर-705, 7वें फ्लोर, ब्लॉक-ए, रियलस पैराडाईज, प्लॉट नम्बर जी-एच-2, खसरा नम्बर 543, 545, 546/1, 548, 549, 547, 550, 552, 546/2, ग्राम कालवाड, तहसील व जिला जयपुर कुल क्षेत्रफल 1590 वर्ग फीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
  5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पालन करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



जयपुर, राजस्थान आज दिनांक 30.06.2023 को सेरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर